न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 53 / 2022 तारीख रजू :– 26.07.2022

पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार हरसोलिया

R.A.S.

1. अमरसिंह पुत्र किशोरी
2. मुरारी पुत्र किशोरी

जाति जाटव निवासी धंधावली तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ———— प्रार्थीगण

बनाम

1. गंगा पत्नि प्रकाश
2. जीतू पुत्र प्रकाश
3. सुल्तान पुत्र प्रकाश
4. पप्पू पुत्र मनोहरी
5. रामदास पुत्र मनोहरी
6. रम्बूली पत्नि रामचन्द

सभी जाति जाटव निवासी धंधावली तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

7. तहसीलदार, तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ———— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128–111 एलआरएक्ट
बाबत् कराये जाने पत्थरगढी

निर्णय

दिनांक :– 27-10-23

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 280 / 1574 रकबा 0.35 है0, 314 रकबा 0.44 है0, 333 / 1624 रकबा 0.40 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.19 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त व गैरखातेदारी की आंराजीयात है। जिस पर वह काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे हैं व लगान अदा करते चले आ रहे हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त कीभूमि खसरा नम्बर 280/1574 रकबा 0.35 है0 के पश्चिम में अप्रार्थीगण की गैरखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 279 रकबा 0.67 है0 है तथा अप्रार्थीगण लड़ाकू प्रवृति के लट्ठ वाले व्यक्ति हैं जो प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 280/1574 रकबा 0.35 है0 की पश्चिमी मिट्टी की डौल को काटकर व तोडकर अवैध अतिक्रमण का प्रयास करते रहते हैं तथा प्रार्थीगण द्वारा मना करने पर अप्रार्थीगण एकराय होकर हल्लाहेल कर भय का माहौल पैदा कर देते है, जिसके कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य उपरोक्त खसरा नम्बर की सीमा पर विवाद करते रहते हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण बुजुर्ग, कमजोर व शान्तिप्रिय कृषि कार्य व मेहनत मजदूरी करने वाले तथा कानूनी कायदे को मानने वाले व्यक्ति हैं। जबकि अप्रार्थीगण दादागिरी से प्रार्थीगण की भूमि को दबाकर अपनी भूमि में मिलाना चाहते हैं, जिसके कारण दोनों पक्षों के बीच सीमा विवाद बना हुआ है और मौके पर आम शांति भंग होने का पूर्ण अंदेशा है तथा अप्रार्थीगण कोई भी घटना प्रार्थीगण के साथ कारित कर सकते हैं। जिसके कारण प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का पूर्ण रूपेण व सही रूप से उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा नम्बर 280/1574 रकबा 0.35 है0 स्थित ग्राम धंधावली का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराने के कानूनी अधिकारी हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण की गैरखातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 280/1574 रकबा 0.35 है0 स्थित ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ का सर्वे/ सीमाज्ञान हेतु सायलान के द्वारा प्रार्थना पत्र देने पर गिरदावर व पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 04.06.2022 को उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान करने हेतु मौके पर पहुँचे, जिस पर वरवक्त सीमाज्ञान अप्रार्थीगण द्वारा 10–15 आदमियों व औरतों को एकत्रित कर हो–हल्ला कर दिया और प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 280/1574 रकबा 0.35 है0 स्थित ग्राम धंधावली को जबरन अपनी खातेदारी की भूमि बताते हुए सीमाज्ञान नहीं करने दिया और लडाई–झगडे पर आमादा हो गये, जिसके कारण प्रार्थीगणकी उक्त भूमि का

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सीमाज्ञान नहीं हो पाया, जिसकी स्पष्ट रिपोर्ट सम्बन्धित पटवारी व गिरदावर हल्का द्वारा तहसीलदार सूरौठ को प्रेषित की। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की उक्त भूमि का सीमाज्ञान अप्रार्थी सं0 7 से कराया जाकर मौके पर पत्थरगढी करायी जाकर उसकी रिपोर्ट न्यायालंय में मंगवाया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का शान्तिपूर्ण तरीके से उपयोग उपभोग कर सके।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की गैरखातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 280/1574 रकबा 0.35 है0 स्थित ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ के सीमाज्ञान हेतु अप्रार्थी सं07 को मौका कमिश्नर नियुक्त कियाजाकर भूमिका मौके पर सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश जारी किये जाने बाबत् निवेदन किया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तबल किया गया। दिनांक 18.08.2023 को अप्रार्थी सं0 1,3,4,5,7 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये तथा दिनांक 16.08.2023 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 2 व 6 के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 2 व 6 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करने के आदेश दिये गये।

प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 किता–2, नकल नक्शा ट्रेस, नकल फर्द मौका दिनांक 04.06.2022 पेश किये हैं।

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 280/1574 रकबा 0.35 है0, 314 रकबा 0.44 है0, 333/1624 रकबा 0.40 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.19 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सूरौठ प्रार्थीगण अमरसिंह पुत्र किशोरी हि01/2 जाति जाटव सा0देह गैरखातेदार, मुरारी पुत्र किशोरी हि01/2 जाति जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 279 रकबा 0.67 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ अप्रार्थीगण गंगा पत्नि प्रकाश हि01/18, जीतू पुत्र प्रकाश हि01/18, पप्पू पुत्र मनोहरी हि01/6, रम्बूली पत्नि रामचन्द हि01/2, रामदास पुत्र मनोहरी हि01/6, सुल्तान पुत्र प्रकाश हि0 1/18 जाति जाटव सा0देह गैरखातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल फर्द मौका दिनांक 04.06.2022 के अनुसार तहसीलदार सूरौठ के आदेश क्रमांक एलआर/सीमा0/2022/700 दिनांक 19.05.2022 की पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक वृत ढिंढोरा एवं पटवारी हल्का धंधावली के साथ ग्राम धंधावली के आराजी खसरा नम्बर 280/1574 के मौके पर पहुॅच मुताविक जमाबन्दी चौसाला ग्राम धंधावली के आराजी खसरा नम्बर 280/1574 रकबा 0.35 है0 की गैरखातेदारी अमरसिंह मुरारी पि0 किशोरी जाति जाटव सा0देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। मौके पर उक्त खसरा नम्बर को खसरा नम्बर 310,312, 313 एवं 315 के मध्य स्थित चौमेडा को स्थायी चिन्ह मानते हुए गैरखातेदार अमरसिंह मुरारी पि0 किशोरी जाति जाटव निवासी धंधावली एवं आस पडौस के खातेदार की उपस्थिति में खसरा नम्बर 280/1574 रकबा 0.35 है0 का सीमाज्ञान किया गया। इस दरम्यान खसरा नम्बर 279 के खातेदार लगभग 10 से 15 आदमी एवं औरतें एकत्रित होकर हा–हल्ला करने लगे एवं खसरा नम्बर 280/1574 रकबा 0.35 है0 को पूर्व में अपनी खातेदारी भूमि बताते हुए लडाई–झगडा करने को उतारू हो गये थे। फर्द मौका पढकर सुनाया गया तथा उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये गये।

नकल नक्शा ट्रेश के अवलोकन से खसरा नम्बर 280/1574 के लगंवा पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 279 है। जो अप्रार्थीगण की गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 280/1574 रकबा 0.35 है0, 314 रकबा 0.44 है0, 333/1624 रकबा 0.40 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.19 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

के प्रार्थीगण अमरसिंह पुत्र किशोरी हि01/2 जाति जाटव सा0देह गैरखातेदार, मुरारी पुत्र किशोरी हि01/2 जाति जाटव सा0देह खातेदार काश्तकार हैं तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के लगमा है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 280/1574 रकबा 0.35 है0 की डोल मेंढ को तोडकर अपने खेतों में मिलाना चाहते है अर्थात प्रार्थीगण की गैरखातेदारी एवं खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। यदि अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति होती तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपना जबाव/ पक्ष रखते, किन्तु अप्रार्थीगण ने ऐसा नहीं किया है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 04.06.2022 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 280/1574 रकबा 0.35 है0 का सीमाज्ञान करते समय खसरा नम्बर 279 के गैरखातेदार लगभग 10 से 15 आदमी एवं औरतें एकत्रित होकर हा–हल्ला करने लगे एवं खसरा नम्बर 280/1574 रकबा 0.35 है0 को पूर्व में अपनी खातेदारी भूमि बताते हुए लडाई–झगडा करने को उतारू हो गये थे। जबकि मुताविक राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 280/1574 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ प्रार्थी सं01 की गैरखातेदारी एवं प्रार्थी सं02 की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है। जिससे अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। जिससे साफ जाहिर है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में घुसकर कब्जा करना चाहते हैं। प्रार्थीगण उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड गैरखातेदार एवं खातेदार काश्तकार होने के कारण अपनी खातेदारी की भूमि की नियमानुसार सीमाज्ञान कराते हुए पत्थरगढी कराने के अधिकारी साबित हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि का सीमाज्ञान कराते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार सूरौठ को दिया जाना न्यायोचित है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुँचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 280/1574 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

File No.

करावें। प्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार तहसील सूरौठ के यहाँ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार सूरौठ एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। निर्णय की पीलना किये जाने में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस जाप्ता की आवश्यकता हो तो नियमानुसार पुलिस जाप्ता लेने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 27-10-23 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली